न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या–30/2017 ———— जिला अलवर

1. लीलाराम पुत्र श्योलाल, जाति अहीर , निवासी मतलवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
2. ईश्वर सिंह पुत्र हरि सिंह
3. मामचन्द पुत्र हरि सिंह
4. रिशाल देवी बेवा हरि सिंह
5. सोमलता पुत्री हरि सिंह, जाति अहीरान, निवासी मतलवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रणधीर पुत्र भूतेरी पुत्री श्योलाल पत्नि रामचन्द्र , जाति अहीर, निवासी मतलवास, तहसील कोटकासिम, हाल निवासी खोह पोस्ट माणेसर, जिला गुडगांवा, हरियाणा ।

असल रेस्पोंडेन्ट

2. मोहरली पुत्री श्योलाल
3. धप्पो पुत्री श्योलाल
4. लाली पुत्री श्योलाल जाति अहीर , निवासी मतलवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
5. विजयपाल पुत्र सारली पुत्री श्योलाल पत्नि दयाराम
6. बिल्लु पुत्र सारली पुत्री श्योलाल पत्नि दयाराम
7. चन्दन पुत्र सारली पुत्री श्योलाल पत्नि दयाराम
8. काली पुत्री सारली पुत्री श्योलाल पत्नि दयाराम
9. मल्ली पुत्री सारली पुत्री श्योलाल पत्नि दयाराम जाति अहीरान, निवासी मतलवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान) हाल पढीनी पोस्ट तवाडू जिला नूँह, मेवात हरियाणा ।
10. लाली पुत्री सूरजी पुत्री श्योलाल पत्नि होशियार सिंह जाति अहीर ,निवासी मतलवास तहसील कोटकासिम, हाल आबाद ततारपुर पोस्ट टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

11. ग्रम पंचायत कान्हडका हाल मकडावा, पंचायत समिति कोटकासिम, जरिये सरपंच ग्रम पंचायत मतलवा ,तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर
दिनांक 29.6.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री कैलाश चन्द शर्मा

निर्णय

दिनांक– 13.3.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 29.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मतलवास, तहसील कोटकासिम जिला अलवर स्थित आराजी का खातेदार श्योलाल था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 32 ग्रम पंचायत कान्हडका हाल ग्रम पंचायत मकडावा, तहसील कोटकासिम द्वारा दिनांक 19.11.1978 को हरिसिंह व लीलाराम पुत्रान श्योलाल के नाम तस्दीक कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 32 दिनांक 19.11.1978 के खिलाफ मृतक खातेदार श्योलाल की पुत्री भुतेरी के पुत्र रणधीर द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के समक्ष दिनांक 8.9.2016 को करीबन 38 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.6.2017 पारित किया कि "प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार मृतक श्योलाल के वारिसान के संबंध में ग्रम पंचायत द्वारा जॉच नहीं की गई ना ही वारिसान को तलब कर सुनवाई का अवसर दिये जाने का आलोच्य इन्तकाल पर उल्लेख किया है जबकि ग्रम पंचायत द्वारा इन्तकाल विरासत पर कार्यवाही के दौरान मृतक के वारिसान की ठोस जॉच की जानी चाहिये थी । इससे स्पष्ट है कि आलोच्य इन्तकाल पर निर्णय के समय जॉच नहीं कर भारी गलती की है । अतः आलोच्य इन्तकाल मजीद जॉच का मौहताज है। इसलिये इन्तकाल संख्या 32 ग्रम मतलवास पर ग्रम पंचायत का निर्णय दिनांक 19.11.78 निरस्त किया जाता है तथा आलोच्य इन्तकाल तहसीलदार कोटकासिम को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक श्योलाल पुत्र कुशाल जाति अहीर निवासी मतलवास के वारिसान के संबंध में सही जॉच कर आलोच्य नामांतरकरण संख्या 32 वाके ग्रम मतलवास, तहसील कोटकासिम पर पुनः निर्णय पारित करें व इन्तकाल का निरस्तारण करें "।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.6.2017 से व्यथित होकर मृतक खातदोर श्योलाल की पुत्री भूतेरी के पुत्र अपीलान्ट लीलाराम वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम , कैम्प मकडावा जिला अलवर दिनांक 29.6.17 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार श्योलाल था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 32 दिनांक 19.11.1978 को मृतक श्योलाल के पुत्र हरिसिंह व लीलाराम के नाम तस्दीक कर दिया था जिसका प्रारम्भ से ही ज्ञान रेस्पोंडेन्ट्स को था । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 32 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष 38 साल के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये व कैम्प में पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार श्योलाल की बेवा गिन्दोडी का स्वर्गवास हो चुका था जिसका प्रार्थना पत्र उसी दिन स्वीकार करते हुये तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स को वारिस मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि गिन्दोडी के अपीलान्ट्स भी वारिस है । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय में यह अहम कानूनी गलती है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी तथा विलम्ब का कारण कपोल कल्पित व मनगढन्त होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय सुनाने व लिखने के बाद दो लाईन बढाई गई है जिनके अन्दर दफा 5 के प्रार्थना पत्र का कोई विवेचन न करते हुये अपील की देरी को गलत तरीके से कन्डोन किया गया है , जो कानूनन गलत है । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद रणधीर बनाम ईश्वर विचाराधीन है जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दफा 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया था जिस पर गोर नहीं कर कानूनी गलती की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के मुन्तकीली प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने दिनांक 26.12.2016 नियत करते हुये उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की थी जिसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स से नाराज होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो काबिले निरस्त है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत रेस्पोंडेन्ट्स को लेनी चाहिये थी , जो नहीं ली । उनका कहना था कि असल रेस्पोंडेन्ट की माता भूतेरी व सारली, सूरजी ने कभी भी इन्तकाल संख्या 32 को अपने जीवनकाल में चुनौती नहीं दी तथा भूतेरी के मरने के बाद बदयान्तीपूर्वक अपीलान्ट द्वारा आराजी हडपने की नियत से अपील प्रस्तुत की थी । विवादित आराजी पर न तो रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा रहा और ना ही है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक

न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने ने निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 29.6.2017 निरस्त किया जावे । अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2009 पेज 303 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम पंचायत द्वारा विवादित भूमि के मृतक खातेदार श्योलाल के वारिसान की विधिवत जॉच किये बिना ही व उन्हें सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण केवल श्योलाल के दो पुत्र हरिसिंह व लीला राम के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । मृतक खातेदार श्योलाल के अन्य वारिसान में उसकी जायन्दा पुत्रियॉ भी थी, जिन्हें नामांतरकरण में छोड दिया गया जबकि वे श्योलाल की विधिक वारिस थी । रेस्पोंडेन्ट्स को ग्रम पंचायत द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से नामांतरकरण का ज्ञान उन्हें समय पर नहीं हो सका और दिनांक 28.8.2016 को सर्वप्रथम नामांतरकरण की जानकारी होने पर नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करदी थी । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक वारिसान पुत्रियान को छोड कर केवल 2 पुत्रों के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है जिसको चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.6.2017 से प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करते हुये मृतक श्योलाल के वारिसान के संबंध में सही जॉच कर पुनः नामांतरकरण निर्णित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम को प्रतिप्रेषित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार श्योलाल की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक श्योलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 32 दिनांक 19.11.78 को मृतक के दो पुत्र हरिसिंह व लीलाराम के नाम तस्दीक कर दिया । मृतक की अन्य वारिस उसकी पुत्रियॉ भी थी जिनमें से भूतेरी पुत्री श्योलाल (मृतका) के पुत्र उगधीर सिंह द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष करीबन 38 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जिस पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.6.2017 द्वारा मृतक श्योलाल के वारिसान के संबंध में ग्रम पंचायत द्वारा जॉच नहीं किये जाने ओर ना ही वारिसान को तलब कर सुनवाई का अवसर दिये जाने का आलोच्य इन्तकाल पर

उल्लेख नहीं किया है । जबकि ग्रम पंचायत द्वारा इन्तकाल विरासत पर कार्यवाही के दौरान मृतक के वारिसान की ठोस जॉच की जानी चाहिये थी । इससे स्पष्ट है कि आलोच्य इन्तकाल पर निर्णय के समय जॉच नहीं कर भारी गलती करने से आलोच्य इन्तकाल मजीद जॉच का मौहताज मानते हुये इन्तकाल संख्या 32 ग्रम मतलवास पर ग्रम पंचायत का निर्णय दिनांक 19.11.78 निरस्त किया गया तथा आलोच्य इन्तकाल तहसीलदार कोटकासिम को प्रतिप्रेषित किया गया कि वह मृतक श्योलाल पुत्र कुशाल जाति अहीर निवासी मतलवास के वारिसान के संबंध में सही जॉच कर आलोच्य नामांतरकरण संख्या 32 वाके ग्रम मतलवास तहसील कोटकासिम पर पुनः निर्णय पारित करनें व इन्तकाल का निरस्तारण करने का आदेश दिया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि का खातेदार मृतक श्योलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 32 उसके पुत्रान हरिसिंह व लीलाराम के नाम तहसीलदार कोटकासिम द्वारा दिनांक 19.11.1978 को तस्दीक किया था जिसके खिलाफ मृतक श्योलाल की पुत्री भूतेरी के पुत्र रणधीर द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष दिनांक 8.9.2016 को 38 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की थी , जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी । किसी भी पुत्र या पुत्री को उनके पिता की विरासत के नामांतरकरण का ज्ञान 38 साल तक नहीं होना मानने योग्य नहीं है तथा मृतक श्योलाल की पुत्री भूतेरी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नगत नामांतरकरण को चुनौती नहीं दी गई थी । अधीनस्थ न्यायलाय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने रेस्पोंडन्ट की 38 साल की निराशाजनक विलम्बित अपील में विलम्ब के संबंध में विस्तृत अभिमत व्यक्त किये बिना ही केवल आदेश के अन्त में मियाद अधिनियम दफा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर देरीना अवधि कण्डोन किये जाने का उल्लेख करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2017 द्वारा इन्तकाल संख्या 32 ग्रम मतलवास पर ग्रम पंचायत का निर्णय दिनांक 19.11.78 निरस्त किया जाकर आलोच्य इन्तकाल तहसीलदार कोटकासिम को मृतक श्योलाल पुत्र कुशाल जाति अहीर निवासी मतलवास के वारिसान के संबंध में सही जॉच कर आलोच्य नामांतरकरण संख्या 32 वाके ग्रम मतलवास, तहसील कोटकासिम पर पुनः निर्णय पारित करने व इन्तकाल का निरस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने 38 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब के संबंध में विधिक विवेचन किये बिना व विस्तृत अभिमत व्यक्त किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जाना उचित एवं विधिक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के संबंध में विलम्ब के कारण संतोषजनक एवं सत्य होने की स्थिति में ही अपना अभिमत व्यक्त करते हुये विलम्ब को क्षमा कर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये अन्यथा विलम्ब के संबंध में कारण असंतोषजनक एवं कपोलकल्पित पाये जाने की स्थिति में प्रकरण विलम्ब

के आधार पर ही खारिज करना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के संबंध में विधिक विवेचन किये बिना व विलम्ब के कारणों के संबंध में विस्तृत विवेचन किये बिना ही विलम्ब क्षमा किये जाने का अंकन अपीलाधीन आदेश के अन्त में किया जाना उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 29.6.2017 निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस जो उनके समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स थे, को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय बहस सुनकर पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । प्रकरण उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर सर्वप्रथम मियाद के संबंध में अपना विस्तृत अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 29.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर सर्वप्रथम मियाद के संबंध में अपना विस्तृत अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर